माननीय अमरजीत चौधरी, जी. एस. सिंघवी और एच. एस. बेदी, जे.

अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, न्यायालय -*याचिकाकर्ता।*

बनाम

सलाहकार- प्रशासन, संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य -*उत्तरदाता।*

सी. डब्ल्यू. पी. 16868/94

1 जून, 1995

भारत का संविधान, 1950, *अनुच्छेद* 226/227, *सरकारी निवास (चंडीगढ़ पूल आवंटन नियम),* 1972 नियम 3, 5, 6 और 26-पात्र *कार्यालय-जिसका अर्थ है-केंद्र सरकार के उपक्रम का कर्मचारी या केंद्र सरकार का कर्मचारी-कर्मचारी-पात्र नहीं है ।*

अभिनिर्णित किया गया है कि नियम 2 (ई) में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारियों को आवंटन की परिकल्पना की गई थी और प्रशासन को अक्सर उन व्यक्तियों को बेदखल करने में धीमी गति से काम करना पड़ता था जो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति और स्थिति को देखते हुए सरकारी आवास में बने रहने के हकदार नहीं थे।इस संबंध में यह भी बताया गया कि इस न्यायालय के कई माननीय न्यायाधीशों ने अपने आधिकारिक आवासों को बनाए रखने का अधिकार खोने के बावजूद उन्हें बनाए रखना जारी रखा।यह भी आग्रह किया गया कि एस. पी. गुप्ता के मामले में खण्ड पीठ ने उन पत्रकारों के मामले में कोई परिणामी निर्देश नहीं दिया था जिन्हें यू. टी. प्रशासन द्वारा घर आवंटित किया गया था।

(पैरा 9)

भारत का संविधान, 1950, *अनुच्छेद* 226/227-सरकारी *निवास (चंडीगढ़ पूल आवंटन नियम) 1972,* नियम 3-ए आवंटन *घर के लिए पात्रता-आवासीय आवास का मालिक पात्र नहीं है।*

यह अभिनिर्णित किया गया है कि नियम 3-ए का एक अधिदेश है जिसमें यह उप नियम (2) में निर्धारित किया गया है कि इसके लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति सरकारी आवास के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास नियम 3-ए-उप नियम (3) के उप नियम (बी) में परिभाषित चंडीगढ़ या आसपास के शहरी संपदाओं में एक घर है, विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिकारी जिसके पास घर है और सरकारी आवास पर कब्जा कर रहा है, वह आत्मसमर्पण कर देगा, जबकि नियम 3-ए के अन्य उप नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि नियम 3-ए का मुख्य उद्देश्य कैसे पूरा किया जाना है।यद्यपि यह नियम विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है, फिर भी जब तक यह अधिनियम की पुस्तक में बना रहता है, प्रशासन के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(पैरा 16)

सरकारी निवास (चंडीगढ़ पूल आवंटन नियम, 1972)-नियम *5,6* और 26-नियम 26 का दायरा *केवल* एक *अपवाद है ।*

अभिनिर्णित किया गया है कि वह नियम 26 एक छूट खंड है जिसका उद्देश्य नियम 5 के क्षेत्र को कम करना है और इसका उपयोग केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जा सकता है।मामले और वह भी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए।इसकी तुलना किसी भी तरह से नियम 5 और 6 से नहीं की जा सकती है जो एक वैधानिक सदन आवंटन समिति द्वारा से पर्याप्त आवंटन के बारे में बात करते हैं।यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि एक छूट खंड का मुख्य प्रावधान को कम करने का प्रभाव नहीं हो सकता है।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक सिब्बल के साथ *वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरीन।*

के. जी. वर्मा, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

अशोक अग्रवाल, सुभाष गोयल और कृष्ण कुमार सैनी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, यू. टी. प्रशासन के अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7 और 11।

एच. एल. सिब्बल, महाधिवक्ता हरियाणा और के. के. लहरी वरिष्ठ अधिवक्ता और डी. आर. त्रिखा, डी. ए. जी., हरियाणा।

अनिल मल्होत्रा, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1,8,9 और 12 के लिए अधिवक्ता

आर. एस. मित्तल, तरुण जैन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

जी एस. बाल, अधिवक्ता, आई. एस. बल्हारा, अधिवक्ता विनोद शर्मा, अधिवक्ता

जी एस. गिल, जी. एस. गिल, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

जे. एस. राठी, यू. ओ. आई. के वरिष्ठ स्थायी वकील।

एम. एस. कोहली, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ।

निर्णय

हरजीत सिंह बेदी, जे.

1)) हरियाणा सरकार में वित्तीय आयुक्त (1965 बैच) के पद के एक आई. ए. एस. अधिकारी श्री के. जी. वर्मा ने इस न्यायालय में 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या *12688* (के. *जी. वर्मा बनाम केंद्र शासित प्रदेश* चंडीगढ़ और एक अन्य) दायर की, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन को उन्हें एक उपयुक्त आवासीय आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें आगे यह निर्देश दिया जाए कि सभी आवंटन सरकारी निवास (चंडीगढ़ प्रशासन पूल) आवंटन नियम, 1972 (जिसे इसके बाद '1972 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार सख्ती से किए *जाएं।इस याचिका* को 4 फरवरी, 1994 को इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि नियम 26, जिसके तहत तब तक

जो भी आवर्ती आवंटन किए गए थे, को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है अन्य बातों के साथ साथ इस तरह के सभी आवंटन को नियमों की मंजूरी प्राप्त है। इस आदेश से व्यथित श्री वर्मा ने (1994 का सं. 8088) माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

स्पेशल लीव पिटीशन में नोटिस जारी किया गया था और जब यह अभी तक लंबित था, इस अदालत ने *4 अगस्त,* 1994 को चंडीगढ़ न्यूज लाइन में एक समाचार के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रतिवादी ने बताया कि इस समाचार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए और आगे यह कि उनके पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।यह याचिका 1994 के सी. वी. वी. पी. संख्या 16863 के रूप में दर्ज की गई थी और हम इस मामले में मुख्य निर्णय लिखने का प्रस्ताव करते हैं।एक अंतरिम आदेश में यह भी निर्देश दिया गया था कि इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कुछ श्रेणियों के घरों का *आगे आवंटन* नहीं किया जा सकता है।स्वप्रेरणा संज्ञान कार्यवाही में किए गए बाद के आदेशों द्वारा, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भी रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इन कार्यवाही को उस अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया और इस मामले को भी श्री वर्मा द्वारा दायर याचिका के साथ जोड़ा गया।दोनों याचिकाओं का निपटारा 7 नवंबर, 1994 के एक सामान्य आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया गया थाः—

> "पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और यह बताए जाने के बाद कि योजना तब से तैयार की गई है, हालांकि यह तर्क है कि योजना अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले 1993 (4) एस. सी. सी. 288 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप नहीं है, हम सोचते हैं कि यह उचित है कि उच्च न्यायालय को योजना को अंतिम रूप देने से पहले मामले को देखना चाहिए ताकि यदि कोई बाधा है तो उन्हें दूर किया जा सके।इसलिए, हम इस योजना में जाने का कोई कारण नहीं देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हाई कॉट स्थानीय स्थिति की सराहना करने और योजना को अंतिम रूप देने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।
>
> चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान वकील का कहना है कि यह वांछनीय होगा यदि मामला एक खण्ड पीठ के समक्ष रखा जाए।उच्च न्यायालय, जब मामला उसके समक्ष आता है, तो इस पहलू पर विचार कर सकता है। याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और अपनी शिकायत रखने का भी हकदार होगा, यदि कोई अभी भी जीवित है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के वकील का कहना है कि उन्हें पहले ही एक घर आवंटित किया जा चुका है।
>
> दोनों याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।
>
> एसडी/-•
> प्रेनर लता शर्मा, कोर्ट मास्टर"

इसके बाद इस मामले को एक खण्ड पीठ द्वारा उठाया गया और सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 12688 में खण्ड पीठ के फैसले की न तो पुष्टि की थी और न ही उसकी निंदा की थी, बल्कि मामले को फिर से निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय को भेज दिया था और यदि उस फैसले के विपरीत कोई विचार किसी अन्य खण्ड पीठ द्वारा लिया जाना था, तो मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजना होगा।चूंकि वर्तमान मामले से *निपटने वाली* खण्ड पीठ का प्रथमदृष्टया यह विचार था कि 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 12688 में फैसले पर दूसरी बार गौर करने की आवश्यकता *है,* इसलिए मामले को 22 मार्च, 1995 के संदर्भ आदेश के माध्यम से पूर्ण पीठ को भेजा गया था।इस तरह यह मामला हमारे सामने है।

2) पूर्ण पीठ के समक्ष तर्क की शुरुआत स्वयं श्री के. जी. वर्मा ने की थी, जिसका विधिवत समर्थन प्रतिवादी संख्या 15 अर्थात हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. लहरी ने किया था।यह तर्क दिया गया है कि के. जी. वर्मा के मामले में खण्ड पीठ का निर्णय केवल नियमों को पढ़ने पर भी गलत था।इस दावे के लिए प्राथमिक निर्भरता नियमों के नियमों (2जे), 5,6,9 और 26 पर की गई थी।इन नियमों को नीचे उद्धृत किया गया हैः

> ‘3(जे) इन नियमों के नियम 4 के प्रावधानों के तहत जिस प्रकार के निवास के लिए वह पात्र है, उसके संबंध में किसी कर्मचारी की 'प्राथमिकता तिथि' का अर्थ है वह प्रारंभिक तिथि जिससे वह बिना वेतन के छुट्टी की अवधि को छोड़कर, चंडीगढ़ प्रशासन या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या विदेश सेवा के तहत किसी पद पर किसी विशेष प्रकार या उच्चतर प्रकार से संबंधित परिलब्धियां लगातार प्राप्त कर रहा हैः
>
> बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक कर्मचारियों की प्राथमिकता तिथि समान हो, उनमें वरिष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा विशेष प्रकार के लिए पात्र होने की तारीख को प्राप्त किए गए परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा, कर्मचारी कम परिलब्धियों की प्राप्ति में कर्मचारियों पर वरीयता लेते हुए उच्च परिलब्धियों की प्राप्ति में, और जहां पर परिलब्धियां समान हैं।उनकी सेवाओं की अवधि के आधार पर और जहां सेवा भी उम्र के आधार पर बराबर है, वृद्ध व्यक्ति को छोटे से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
>
> बशर्ते कि किसी कर्मचारी के संबंध में प्राथमिकता तिथि केवल एक समय या विशेष प्रकार के निवास के लिए रखी जाएगी।

5. चंडीगढ़ प्रशासनिक गृह-एस. आर.317 ए एम 5 -

सभी आवासीय भवन जो पदनाम द्वारा किसी विशेष वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित नहीं किए गए हैं या किसी विशेष विभाग को आवंटित नहीं किए गए हैं, चंडीगढ़ प्रशासन पूल का हिस्सा बनेंगे।ये आवास गृह आवंटन समिति द्वारा पात्र सरकारी

कर्मचारियों को आवंटित किए जाएंगे।"

6. हाउस अलॉटमेंट कमेटी।

ऐसी दो समितियाँ होंगीः—

(i) सदन आवंटन समिति (ऊपरी)।

(ii) सदन आवंटन समिति (निचला)।

(iii) प्रकार-III से VIII तक के सदन, सदन आवंटन समिति (ऊपरी) के दायरे में होंगे और जो IX से XIIJ श्रेणियों में आते हैं वो सदन आवंटन समिति (निचली) के दायरे में होंगे। इन समितियों का गठन इस प्रकार होगाः

(a) हाउस अलॉटमेंट कमेटी (ऊपरी)।

1.	मुख्य आयुक्त।	सभापति
2.	पंजाब सरकार के मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
3.	हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
4.	गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन।	सदस्य
5.	वित्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन।	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता और सचिव, अभियांत्रिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन।	सदस्य
7.	निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।	सदस्य
8.	कार्यकारी अभियंता, कैपिटल प्रोजेक्ट डिवीजन नं. बीमार, चंडीगढ़ प्रशासन।	सदस्य सचिव

(b) हाउस अलॉटमेंट कमेटी (लोवर)

1. वित्त सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन- सभापति
2. सरकार के उप सचिव ओ. आई पंजाब, सचिवालय प्रतिष्ठान- सदस्य
3. सदस्य सरकार के उप सचिव हरियाणा, सचिवालय प्रतिष्ठान। सदस्य
4. उपायुक्त, चंडीगढ़। सदस्य
5. कार्यकारी अभियंता, पूंजी परियोजना दिवि सायन नं. बीमार, चंडीगढ़ प्रशासन। सदस्य

सचिव

9. निवास का आवंटन एस आर. 17 ए एम 9 (1)

इन नियमों में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, जब कोई निवास खाली हो जाता है, तो यह नियम 17 के प्रावधानों के तहत उस प्रकार के आवास में बदलाव की इच्छा रखने वाले आवेदक को आवंटित किया जाएगा और यदि उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है, तो उस प्रकार के आवास के बिना एक आवेदक को, जिसके पास उस प्रकार के निवास के लिए सबसे पहले प्राथमिकता तिथि है, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः—

(1) उस प्रकार का निवास, जिसके लिए आवेदक नियम 4 के तहत पात्र है, आवंटित नहीं किया जाएगा। एक आवेदक को उस प्रकार से कम का निवास प्रतिग्रहण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह नियम 5 के तहत पात्र है।

बशर्ते कि एक आवेदक जो पहले से ही अपने व्यवसाय में किसी प्रकार के घर में आवास बदलना चाहता है, उसे नए आवंटन पर वरीयता दी जा सकती है।

(2) समिति किसी सरकारी कर्मचारी के मौजूदा आवंटन को रद्द कर सकती है और उसे उसी प्रकार का एक वैकल्पिक निवास या, आपात परिस्थितियों में, अधिकारी के कब्जे वाले निवास के नीचे का एक वैकल्पिक निवास, यदि सरकारी कर्मचारी के कब्जे वाले निवास की आवश्यकता है, तो खाली कर सकती है।

26 '- नियमो का पुनर्गठन S.R.317 A M 26

मुख्य आयुक्त, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी भी सरकारी

कर्मचारी या निवास या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग-या निवास के प्रकार के मामले में इन नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान में ढील दे सकता है।"

(3) यदि इस आधार पर यह आग्रह नहीं किया गया है कि प्राथमिकता तिथि जो किसी घर के आवंटन के लिए किए गए आवेदन की तारीख पर आधारित थी और क्योंकि आवंटन नियम 6 के तहत गठित सदन आवंटन समिति द्वारा प्राथमिकता तिथि के आधार पर नियम 5 के तहत किया जाना था, उस सिद्धांत से कोई भी विचलन अनावश्यक था।यह दावा किया गया है कि नियम 26, यानी छूट खंड आवंटन के मूल नियम, यानी नियम 5 के प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता है और इसलिए के. जी. वर्मा के मामले (उपरोक्त) में इसके विपरीत खण्ड पीठ *का निष्कर्ष गलत था।खण्ड* पीठ द्वारा अपनाए गए तर्क पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी जिसे एक अधिनियम की व्याख्या के सभी स्वीकृत नियमों के विपरीत कहा गया था और निम्नलिखित पैसेज पर विशेष जोर दिया गया थाः

> "उपरोक्त दोनों नियमों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है जो ऐसे नियमों को तैयार करने के उद्देश्य को बढ़ाएगी।यह तथ्य कि नियम 26 के तहत बारी-बारी से आवंटन करने के लिए प्रावधान किया गया था, नियमों के अन्य प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के अलावा, घरों के आवंटन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए परिस्थितियों का अस्तित्व इंगित करता है।ऐसी शक्ति मुख्य आयुक्त के अलावा किसी और को नहीं दी गई है।'नियम 26 के तहत घर के आवंटन के प्रत्येक आदेश को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता है, जो घरों के आवंटन के लिए पात्रता या पात्रता प्रदान करने वाले नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार नहीं है।शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि नियम 26 के तहत मुख्य प्रशासक के पास शक्ति बहुत व्यापक है।यह न केवल बारी-बारी से घरों के आवंटन की शक्ति प्रदान करता है, बल्कि यह उसे पूल से घरों को बाहर निकालने और घरों को चिह्नित करने या उनकी श्रेणियों को बदलने का भी अधिकार देता है।ऐसी शक्ति की अयोग्यता या असंवैधानिकता के बारे में किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया है।अन्यथा भी, नियम कठोर नहीं हैं लेकिन विभिन्न स्थितियों का सामना करने के लिए लचीले हैं।जैसा कि ऊपर बताया गया है, मकानों का आवंटन बारी-बारी से किया जा सकता है, निम्न श्रेणी के मकानों का आवंटन किया जा सकता है, ऐसे आबंटित व्यक्ति बाद में उच्च श्रेणी के मकानों के आवंटन का विकल्प चुन सकते हैं यदि

उपलब्ध है।सेवा के दोरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उसके परिवार के सदस्यों को, जैसा कि परिभाषित किया गया है, सरकारी घर आवंटित किया जा सकता है।इस प्रकार आवंटन की कार्रवाई को मनमाना निर्धारित करने के लिए किसी अन्य के साथ आवंटनकर्ता की तुलना की आवश्यकता नहीं है।यदि कुछ लोगों के बीच अधिक वितरित किया जाता है, तो समान वितरण का सवाल उठ सकता है।हालांकि, जब कुछ घर उपलब्ध

हैं और आवंटन के इच्छुक व्यक्ति बहुत अधिक हैं, तो सभी को समायोजित नहीं किया जा सकता है।समान वितरण या समान व्यवहार का सवाल ही नहीं उठेगा।”

यह भी आग्रह किया गया कि खण्ड पीठ की यह टिप्पणी कि आवेदनकर्ताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में समान वितरण या समान व्यवहार का सवाल नहीं उठेगा, जबकि उपलब्ध आवास कम था, इसके बावजूद, गलत था क्योंकि नियमों में प्राथमिकता तिथि के संदर्भ में एक आवंटनकर्ता की दूसरे के साथ तुलना की परिकल्पना की गई थी और आगे कहा गया था कि नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता थी, ताकि आवंटन के तरीके में किसी भी मनमानेपन से बचा जा सके।इसके विपरीत, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया है कि उच्चतम न्यायालय के 7 नवंबर, 1994 के आदेश में यह परिकल्पना की गई है कि पिछले दो दशकों में मकानों के आवंटन के पिछले इतिहास को नहीं उठाया जाना चाहिए और चूंकि अब केवल एक ही मामला जो उत्तेजित किया जा सकता है वह उच्च न्यायालय के तत्वावधान में एक नई योजना के निर्माण के संबंध में था और चूंकि श्री वर्मा की व्यक्तिगत शिकायत पर तब से ध्यान दिया गया था क्योंकि उन्हें उनके दर्जे के अनुरूप घर आवंटित किया गया था, इसलिए उन्हें भी अपनी याचिका को *बनाए* रखने का कोई अधिस्थिति नहीं था।हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि 1973 में नियमों की स्थापना के बाद से सदन आवंटन समिति (ऊपरी) की एक बार भी बैठक नहीं हुई थी, जबकि सदन आवंटन समिति (निचली) की दो बार बैठक हुई थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन ने अपने विवेक से नियम 26 ए. एस. की व्याख्या आवंटन के तरीकों में से एक के रूप में की थी, और इस दृष्टिकोण को खण्ड पीठ द्वारा भी स्वीकार किया गया था, किए गए सभी आवंटन को कानून की मंजूरी थी।

(4) हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण श्री अशोक अग्रवाल के तर्क को इस आशय से लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को मामला भेजने के आदेश के आलोक में चंडीगढ़ में आवंटन की कोई गहरी जांच नहीं की जा सकी।ध्यान देने योग्य बात यह है आत्यन्तिक रूप से इस निवेदन का कोई औचित्य नहीं है।यह ध्यान देने योग्य है कि श्री के. जी. वर्मा की विशेष अनुमति याचिका का स्वप्रेरणा संज्ञान *कार्यवाही* के साथ निपटारा किया गया था और इन दोनों कार्यवाही में पिछले 20 वर्षों में चंडीगढ़ में घरों के आवंटन के तरीके की गंभीरता से पूछताछ की गई थी। श्री अग्रवाल का यह तर्क देना कि उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा की गई जांच को केवल यू. टी. प्रशासन द्वारा तैयार की जाने वाली आवंटन योजना की जांच तक ही सीमित कर दिया था, इसलिए इसके बावजूद यह गलत है और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पिछले आवंटन की किसी भी जांच को बाधित करने का प्रयास खेदजनक है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को जो कहना था, उससे स्वतंत्र, इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिकारी नियमों का उल्लंघन न करें और उनके लिए बनाए गए कानूनी मानकों से परे न भटकें। इसके अलावा, कहा जाता है कि इतिहास में उन लोगों के लिए एक संदेश

है जो सीखना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यह खुलासा उस संदेश को प्रभावी ढंग से ले जाएगा। हमने ऊपर बताए गए विभिन्न नियमों का अध्ययन किया है और पाया है कि नियम 26 एक छूट खंड है जिसका उद्देश्य नियम 5 की कठोरता को कम करना है और इसका उपयोग केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जा सकता है और वह भी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के द्वारा। इसकी तुलना किसी भी तरह से नियम 5 और 6 से नहीं की जा सकती है जो एक वैधानिक सदन आवंटन समिति द्वारा से पर्याप्त आवंटन के बारे में बात करते हैं।यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि एक छूट खंड का मुख्य प्रावधान को कम करने का प्रभाव नहीं हो सकता है।के. जी. वर्मा के मामले में खण्ड पीठ ने नियम 26 के तहत सभी आउट ऑफ टर्न आवंटन को पूरी तरह से उचित मानते हुए मंजूरी दे दी थी, यह देखते हुए कि नियमों की शुरुआत से लेकर आज तक सभी आवंटन उस नियम के तहत किए गए थे। इसलिए, खण्ड पीठ के फैसले को प्रतिग्रहण करना करने से प्रशासन को छूट खंड का समर्थन लेते हुए आउट-ऑफ-टर्न आवंटन करना जारी रखने के लिए एक कार्टे ब्लैंच मिलेगा।हमारा यह भी मत है कि खण्ड पीठ द्वारा अपना निर्णय इंगित तरीके से देने के लिए जिन कारणों पर विचार किया गया, वही कारण हमें इसके विपरीत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं।सरकारी *आवास की कमी के कारण यह* और *भी आवश्यक* हो *जाता है कि बनाए गए* नियमों का स्पष्ट रूप से पालन किया जाए ताकि आवंटन के तरीके में मनमानेपन से बचा जा सके।खण्ड पीठ द्वारा मेसर्स कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी आदि बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और एक अन्य (1) पर भरोसा किया गया जो स्वयं निम्नलिखित टिप्पणी में इसके खिलाफ जवाब देता हैः—

> "सरकार द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई जनहित में होनी चाहिए; सरकार मनमाने ढंग से और बिना किसी कारण के कार्य नहीं कर सकती है और यदि वह ऐसा करती है, तो उसकी कार्रवाई अमान्य होने के लिए उत्तरदायी होगी।यदि सरकार किसी अनुबंध को प्रदान करती है या पट्टे पर देती है या अन्यथा अपनी संपत्ति या किसी भी अन्य उदारता के अनुदान से संबंधित है, यह तर्कसंगतता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर इसकी वैधता के लिए परीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और यदि यह किसी भी परीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है, तो यह असंवैधानिक और अमान्य होगा।" यह आगे आयोजित किया गया थाः—

(1) ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1992.

"जहां सरकार जनता के साथ व्यवहार कर रही है, चाहे वह नौकरी देने के रूप में हो या

अनुबंध करने के रूप में या अन्य प्रकार के उदारता प्रदान करने के रूप में, सरकार अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है और एक निजी व्यक्ति की तरह, किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी इच्छानुसार व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी कार्रवाई किसी ऐसे मानक या मानदंड के अनुरूप होनी चाहिए जो मनमाना, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं है।"

ऊपर जो अभिनिर्णीत किया गया है, उसके आलोक में, हमारी राय है कि केजी वर्मा के मामले में खण्ड पीठ का निर्णय।(ऊपर) *सही कानून निर्धारित नहीं* करता है और खारिज कर दिया जाता है।

(5) कुछ अन्य सहायक बिंदुओं को उठाया गया है जिन्हें इस स्तर पर निपटाने की आवश्यकता है।श्री वर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि नियमों में पंजाब के लिए किसी अलग कोटे की परिकल्पना नहीं की गई है।हरियाणा या यू. टी. प्रशासन के अधिकारी और प्रत्येक आवंटन प्राथमिकता तिथि के आधार पर किया जाना था।उन्होंने आगे आग्रह किया है कि एक पल के लिए यह मानते हुए भी कि कुछ कोटा तय किया जा सकता है ताकि चंडीगढ़ हाउसिंग पूल पर तीन प्रशासनों के दावे को सही ठहराया जा सके, यू. टी. प्रशासन की एक अधिकारी को आवंटन करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने की प्रथा बिना किसी कानूनी मंजूरी के थी।

(6) हमने इस तर्क पर अपना चिंतित विचार दिया है और चंडीगढ़ के लिए विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में इसमें कुछ सार पाया है।यह ध्यान देने योग्य है कि चंडीगढ़ को पंजाब राज्य की राजधानी के रूप में परिकल्पित किया गया था, लेकिन वर्ष 1966 में हरियाणा और पंजाब राज्यों में राज्य के पुनर्गठन पर, दोनों राज्यों की राजधानी नामित करने के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को भी विशेष दर्जा दिया गया था।इसलिए, यह स्पष्ट है कि इन तीनों प्रशासनों के लिए निर्धारित कोटा पूरी तरह से अनुचित नहीं होगा।हालाँकि, हम यह मानते हैं कि कोटा के भीतर आवंटन विशुद्ध रूप से प्राथमिकता की तारीख के आधार पर किया जाएगा; श्री वर्मा का आगे तर्क है कि राज्य सरकारों की सहमति या सिफारिश की आवश्यकता नहीं थी और न ही इसकी परिकल्पना की गई थी।उस राज्य के किसी अधिकारी को आवंटन से पहले नियम बनाए जा सकते हैं, हमारे विचार से इसमें योग्यता है।उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों को दी गई इस नियंत्रण शक्ति का बार-बार संरक्षण और संरक्षण के स्रोत के रूप में दुरुपयोग किया गया था।

इस प्रकार, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।हालांकि श्री वर्मा ने इस तरह के किसी भी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी नियमों में केवल प्राथमिकता तिथि के आधार पर आवंटन की आवश्यकता होती है, हम निर्देश देते हैं कि संबंधित राज्य सरकार से कोई सहमति या सिफारिश नहीं ली जानी चाहिए।

(7) हरियाणा राज्य के लिए अपील करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री लहरी द्वारा भी इसका आग्रह किया गया है कि घरों की कमी इस तथ्य से बढ़ गई है कि उन लोगों को आवंटन किया गया था जो उनके हकदार नहीं थे और यह भी कि जो आबंटित व्यक्ति कब्जे में बने रहने का हकदार नहीं था, उसे नियमों के विपरीत जारी रखने की अनुमति दी गई थी।श्री लहरी ने नियमों के नियम 2 (ई) पर भरोसा किया है जो "पात्र कार्यालय" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है -".....सरकार का एक कार्यालय; पंजाब,चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन, जिसके कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इन नियमों के तहत आवास के लिए पात्र घोषित किया गया है।"

इस तर्क को विस्तार से बताते हुए, श्री वर्मा ने आग्रह किया है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में घरों को आवंटित किया गया है और राज्यों/केंद्र/के अयोग्य कार्यालयों को आवंटित किया जाना जारी है।अर्ध-सरकारी उपक्रमों/निगमों/केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों आदि, और चूंकि ये व्यक्ति आवंटन के हकदार या पात्र नहीं थे, इसलिए ऐसे आवंटन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि इस *अदालत* ने *एस. पी. गुप्ता* और *अन्य बनाम प्रशासक, यू. टी.* चंडीगढ़ और अन्य (2) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में पत्रकारों और प्रेस संवाददाताओं के संबंध में आवंटन को पूरी तरह से अनधिकृत बताते हुए रद्द कर दिया था और खण्ड पीठ के निर्देश कि फैसले के आलोक में परिणामी उपाय किए जाने चाहिए; वास्तव में,-नहीं किया गया।इसके विपरीत, प्रशासन के विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने तर्क दिया है कि ऊपर उद्धृत नियम 2 (ई) 1 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को आवंटन की परिकल्पना की गई थी और 'प्रशासन को अक्सर उन व्यक्तियों को बेदखल करने में धीमी गति से जाना पड़ता था जो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति और स्थिति को देखते हुए सरकारी आवास में बने रहने के हकदार नहीं थे।

(2)1993 (2) सी. एल. जे. 611

इस संबंध में, यह भी बताया गया कि इस न्यायालय के कई माननीय न्यायाधीशों ने उन्हें बनाए रखने का अधिकार खोने के बावजूद अपने आधिकारिक आवासों पर कब्जा बनाए रखा।

यह भी आग्रह किया गया कि एस. पी. *गुप्ता के मामले (उपरोक्त)* में खण्ड पीठ ने उन पत्रकारों के मामले में कोई परिणामी निर्देश नहीं दिया था जिन्हें यू. टी. प्रशासन द्वारा घर आवंटित किए गए थे।

8.) हमने इन तर्कों पर भी विचार किया है और पाया है कि श्री लहरी के दावों में स्पष्ट योग्यता है।नियमों के नियम 5 के साथ पठित नियम 2 (ई) में स्पष्ट रूप से केवल पात्र सरकारी कर्मचारियों, यानी पंजाब या हरियाणा राज्य या चंडीगढ़ में स्थित यू. टी. प्रशासन के कर्मचारियों और प्रशासन द्वारा घोषित किए गए कार्यालयों को इन नियमों के तहत आवास के लिए पात्र घोषित करने की परिकल्पना की गई है।इसलिए, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को या पंजाब और हरियाणा राज्य के अर्ध-सरकार या सरकार नियंत्रित निगमों के कर्मचारियों को और केंद्र शासित प्रदेश जैसे CITCO को किए गए आवंटन को नियमों की मंजूरी नहीं है।हालांकि, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि कुछ मामलों में ऐसे व्यक्तियों को आवंटन वर्षों पहले किया गया है, हम निर्देश देते हैं कि जिन्हें पहले ही आवासीय आवास आवंटित किया जा चुका है, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, फिर भी इस तरह से कार्यरत व्यक्तियों को आगे कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।

9.) हालाँकि, पत्रकारों के मामले में स्थिति स्पष्ट रूप से अलग है।श्री अग्रवाल ने बताया है कि हालांकि एस. पी. गुप्ता के मामले (ऊपर) में फैसले के *बाद, यू.* टी. प्रशासन ने पत्रकारों को कोई आवंटन नहीं किया था, फिर भी उन लोगों को बेदखल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे जो घरों पर कब्जा बनाए हुए थे क्योंकि इस आशय का कोई आदेश खण्ड पीठ ने नहीं दिया था।विद्वान अधिवक्ता का यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।निर्णय के पैराग्राफ 18 में, खण्ड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> *"*पत्रकार और प्रेस संवाददाता सरकारी आवासीय आवास के आवंटन के हकदार नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि इस तरह के सभी आवंटन में कानूनी मंजूरी का अभाव है और इसलिए, पत्रकारों या प्रेस संवाददाताओं *को आगे कोई आवंटन* नहीं *किया जाना चाहिए।चंडीगढ़ प्रशासन, इसमें कोई संदेह नहीं है, अब इस मामले में सभी आवश्यक परिणामी कार्रवाई करेगा।"*

इसलिए, यह स्पष्ट है कि चूंकि किसी अन्य मंच पर आगे कोई अपील नहीं की गई है, इसलिए निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और जैसा कि रेखांकित शब्द इंगित करते हैं कि सभी आवश्यक परिणामी कार्रवाई की आवश्यकता थी।हम उम्मीद करते हैं कि यू. टी. प्रशासन अब अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सभी उपाय करेगा।

10. हरियाणा राज्य के विधवान वकील का यह तर्क की जो व्यक्ति स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर आवास आवंटन के लिए पात्र नहीं रह गये थे, उनकी निरंतरता उचित नहीं है। श्री अग्रवाल से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि जहां कुछ ऐसे अधिकारियों ने स्थानांतरण किया था, वहीं अन्य ऐसा करने की प्रक्रिया में थे, लेकिन उनका यह तर्क कि उन घरों के मामले में जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/स्थानांतरित न्यायाधीशों के कब्जे में थे, उनके दर्जे के कारण अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, हमारे विचार से पूरी तरह से गलत है।नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, और इस सिद्धांत से किसी भी विचलन की आवश्यकता नहीं है।नियम 12 विनिर्दिष्ट एक ऐसी अवधि प्रदान करता है जिसके दौरान किसी व्यक्ति को निर्धारित विभिन्न स्थितियों और इसके उल्लंघन के परिणामों में परिसर का कब्जा रखने की अनुमति दी जा सकती है और हम इस नियम के स्पष्ट जनादेश का पालन करने के लिए प्रशासन की अनिच्छा के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं।हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो किसी भी कारण से मकानों के आवंटन के लिए पात्र नहीं रह गए हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और चूक के लिए नियम 12 में परिकल्पित उच्च किराए के अलावा, उन्हें ऐसे परिसरों से बेदखल करने के लिए त्वरित और आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।हम विशेष रूप से उन लोगों की कठिनाई की पूरी तरह से सराहना करते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन नियम 12 और उससे अधिक के आलोक में किसी भी अक्षांश की अनुमति नहीं है।यहां तक कि इक्विटी पर भी सेवा में शामिल होने की तारीख को सेवानिवृत्ति की तारीख के रूप में ज्ञात होने पर पर्याप्त व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए।ऊपर जो कहा गया है, उसके अनुरूप हम निर्देश देते हैं कि कोई भी अधिकारी जो यू. टी. प्रशासन के साथ प्रतिनियुक्ति पर था और जिसे उस आधार पर एक घर आवंटित किया गया था, अपने मूल राज्य में उसके प्रत्यावर्तन पर उसे खाली कर देगा।हालाँकि, इस निर्देश के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, हम आदेश देते हैं कि यह निर्देश संभावित रूप से लागू होगा, यानी इस निर्णय की घोषणा के बाद और ऐसे अधिकारी जो पहले से ही रुके हुए हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

11. श्री वर्मा और श्री लहरी को यह बताते हुए दुख हो रहा है कि प्रशासन स्वयं इस बात से अनजान था कि आबंटन नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन था और इस संबंध में मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ के एक आदेश, संलग्नक पी-8 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि आउट-ऑफ-टर्न/पहले उपलब्ध आधार पर स्वीकृत सभी आबंटन और जो तब सदन आबंटन समिति के कार्यालय में लंबित थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और अब से संबंधित सदन आबंटन समिति द्वारा पात्र कर्मचारियों को नियमों के प्रावधानों के साथ सरकारी आवासों का आवंटन सख्ती से किया जाएगा। यह रेखांकित किया गया है कि इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और आवंटन पहले की तरह जारी रहा।फाइल पर रखे गए कुछ अनुलग्नकों (आर-7 और आर-10) के संदर्भ में यह भी बताया गया है कि यू. टी. प्रशासन ने सभी अधिकार अपने हाथों में केंद्रित करने या अपने कर्मचारियों को अनुचित लाभ देने के लिए केवल

प्रशासनिक आदेश द्वारा नियमों को संशोधित करने का प्रयास किया।हम इन अनुलग्नकों को देख चुके हैं और इस दावे को भी सही पाते है। 21 सितंबर, 1993 का संलग्नक आर-7 सदन आवंटन समिति के अध्यक्ष, यानी सचिव वित्त, यू. टी. प्रशासन को आउट-ओ-टर्न आवंटन पर विचार करने के लिए अधिकृत करने के लिए जारी किया गया था और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक रूप से, चंडीगढ़ में आवासीय आवास के आवंटन के लिए अयोग्य कार्यालयों के कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने के लिए।संलग्नक आर-10 को भी इंगित संदर्भ दिया जाना चाहिए जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि पंजाब और हरियाणा राज्य के अधिकारियों को 6 और उससे अधिक प्रकार के सभी घर आवंटित किए जाएंगे।घर खाली करने वाला अधिकारी किसका था, हालांकि यह मामला अनिवार्य रूप से चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को घरों के आवंटन की अत्यधिक आवश्यकता के अधीन होगा।इसलिए, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि यू. टी. प्रशासन के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य के कोटे में विभाजित किए गए घरों को भी वापस लेने की मांग की गई थी।ऊपर उद्धृत घटनाओं का क्रम इंगित करता है कि आवंटन के मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया है और उसमें निर्धारित सिद्धांतों से बड़े पैमाने पर विचलन हुआ है और मुख्य आयुक्त को भी 1984 में आवंटन किए जाने के तरीके के बारे में पता था (जैसा कि संलग्नक आर-8 से स्पष्ट होगा), लेकिन वास्तव में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे।

12. श्री लहरी ने तब तर्क दिया कि नियम 7 के तहत मुख्य आयुक्त को दी गई शक्ति "समय-समय पर, चंडीगढ़ प्रशासन पूल में किसी भी निवास को जोड़ने या उससे किसी भी निवास को वापस लेने या किसी भी निवास के वर्गीकरण को बदलने" के लिए किसी भी कारण से निर्देशित नहीं था और इसलिए मनमाना था।श्री वर्मा ने श्री लहरी द्वारा दिए गए कानूनी निवेदन में एक विशिष्ट उदाहरण देकर तर्क को स्पष्ट किया है जिसमें नियम 7 के तहत प्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग किया गया है।वह विशिष्ट उदाहरण केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वित्त सचिव श्री ए. आर. तलवार और वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 5 को आवंटन के मामले से संबंधित है।श्री वर्मा द्वारा यह बताया गया है कि श्री तलवार टाइप 8 के घर के हकदार थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में वित्त सचिव के रूप में उनकी स्थिति और सुरक्षा कारणों से उन्हें टाइप-6 सेक्टर 24 चंडीगढ़ में घर आवंटित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉ. जे. एस. गुजराल द्वारा कब्जा किए गए घर संख्या 11, सेक्टर 7 में रहने वाले व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर उपलब्ध हो गया और चूंकि यह घर श्री तलवार द्वारा कब्जा किए गए घर से बेहतर प्रतीत होता था, इसलिए उन्होंने इसे अपने लिए आवंटित करने का फैसला किया।श्री वर्मा द्वारा यह इंगित किया गया है कि यह एक कठिन प्रस्ताव के रूप में है क्योंकि फाइल में यह उल्लेख किया गया था कि यह सदन श्रेणी 4 का था जो श्री तलवार की पात्रता से परे था।लेकिन सदन आवंटन समिति (उच्च) के अध्यक्ष के रूप में श्री तलवार ने संदिग्ध तरीके से अपने नाम के आवंटन में पैंतरेबाज़ी की।इस तर्क पर, हमने यू. टी. प्रशासन के कार्यालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो, चंडीगढ़ से भी फाइलें तलब कीं, जो हमारे सामने दो याचिकाओं में उठाए गए कुछ बिंदुओं की जांच कर रहा है, और

जो फाइलें पेश की गई हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि श्री तलवार के पक्ष में आवंटन अत्यधिक आपत्तिजनक तरीके से किया गया था।जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, ये दो कठिनाइयाँ हैं जिन्हें आवंटन करने से पहले पूरा करना था; सबसे पहले कि विचाराधीन घर पी. जी. आई. पूल में था इसलिए, संस्थान के निदेशक द्वारा आबंटित किया जाना था और दूसरा, श्रेणी 4 का घर होना श्री तलवार की पात्रता से परे था। पहली कठिनाई को दूर कर दिया गया था, जिससे पी. जी. आई. हाउस नंबर 110, सेक्टर 24 द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों के बावजूद पी. जी. आई. पूल और हाउस नंबर 11 सेक्टर 7 को वापस ले लिया गया और चंडीगढ़ प्रशासन पूल में डाल दिया गया।इस मामले से निपटने वाले वरिष्ठ सहायक ने 5 जुलाई, 1993 को एक नोट दर्ज किया, जो फाइल पर पहला दस्तावेज है, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि श्री ए. आर. तलवार को सदन संख्या 11 सेक्टर 7 आवंटित किया जाए और सदन संख्या 110 सेक्टर 24 को पी. जी. आई. के निपटान में रखा जाए। फिर फाइल को सचिव, सदन आवंटन समिति के समक्ष रखा गया, जिन्होंने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।इसके बाद यह मामला 27 जुलाई, 1993 को सदन आवंटन समिति के अध्यक्ष श्री तलवार के समक्ष रखा गया, जिन्होंने उन परिस्थितियों के संबंध में आगे की जांच की जिनके तहत सदन संख्या 110 सेक्टर 24 को चंडीगढ़ प्रशासन पूल और सदन संख्या 11 सेक्टर 7 को पी. जी. आई. को दिया गया था। 29 जुलाई, 1993 को सौदा करने वाले हाथ ने नोट किया कि इस आशय का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, लेकिन सलाह दी कि मुख्य आयुक्त नियम 7 के तहत चंडीगढ़ प्रशासन पूल से किसी भी घर को जोड़ने या वापस लेने के लिए सक्षम था।इस प्रस्ताव को उसी दिन सचिव सदन आवंटन समिति ने स्वीकार कर लिया।

मामला श्री तलवार के सामने रखा गया था जो स्वयं सदन आवंटन समिति (उच्च) के अध्यक्ष थे जिन्होंने सलाहकार को प्रस्ताव की सिफारिश की थी) जिन्होंने 2 अगस्त, 1993 को इसे स्वीकार कर लिया और उसी दिन श्री तलवार के पक्ष में आवंटन का आदेश जारी किया गया था।एक और परेशान करने वाला पहलू है जो इस मामले की जांच के दौरान सामने आया है।नियम 4 से यह देखा जा सकता है कि सदन आवंटन समिति (ऊपरी) की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त (अब प्रशासक जिन्होंने अपना अधिकार सलाहकार को सौंप दिया है) को करनी है, लेकिन चूंकि सदन संख्या 11 सेक्टर 7 के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में कुछ भ्रम प्रतीत होता है, जिसमें श्री तलवार की पहचान सदन आवंटन समिति के अध्यक्ष के रूप में की गई थी, इसलिए हमने श्री अग्रवाल से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा।उन्होंने हमें सूचित किया है कि नियम 4 वैसा ही रहा जैसा कि सदन आवंटन समिति की कभी बैठक नहीं हुई थी।प्रशासक के सलाहकार, जिन्हें नियमों के तहत प्रशासक की शक्ति सौंपी गई थी, ने अनौपचारिक रूप से वित्त सचिव को अधिकार सौंप दिया था।हमारे विचार से यह स्थिति, विचाराधीन आवंटन के संबंध में एक और परेशान करने वाली विशेषता है।श्री तलवार ने खुद पर घमंड करते हुए सदन आवंटन समिति के अध्यक्ष की शक्ति द्वारा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया।

13. श्री तलवार द्वारा अपने पक्ष में लिए गए निर्णय पर श्री वर्मा द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई है।उन्होंने पूरी तरह से तर्क दिया है कि प्रशासन द्वारा हाउस नंबर 11 सेक्टर 7 के वर्गीकरण को टाइप-4 प्रकार 6 से बदलने में एक आभासी धोखाधड़ी की गई थी ताकि श्री तलवार के लिए इसका आवंटन अपने लिए प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक हो।श्री वर्मा के इस दावे का यू. टी. प्रशासन की ओर से और प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में श्री ए. आर. तलवार की ओर से पेश हुए श्री अग्रवाल ने कड़ा विरोध किया है।यह तर्क दिया गया है कि सदन संख्या 11 सेक्टर 7 को वास्तव में उप मंत्री के निवास के रूप में नामित किया गया था और वास्तव में इसे श्री वर्मा द्वारा कथित रूप से टाइप-4 या 6 के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था और इस प्रकार, श्री तलवार को आवंटन करने वाले प्रशासन में कोई गलती नहीं पाई जा सकी।

14. हमने अपने सामने इस तर्क पर विचार किया है और पाया है कि सदन संख्या 11 सेक्टर 7 के वर्गीकरण के संबंध में श्री वर्मा का दावा सही प्रतीत होता है।हमने केंद्रीय जांच ब्यूरो से ली गई फाइलों को देखा है जो स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि यह वास्तव में एक प्रकार 4 का घर था और इस याचिका के उद्देश्यों के लिए इस पहलू को छिपाने का प्रयास किया गया था।डॉ. जे. एस. गुजराल के कब्जे में रहने और फिर श्री तलवार के कब्जे में आने की अवधि के लिए इस घर से संबंधित नियंत्रण रजिस्टर में प्रविष्टियां इसे टाइप-4 के रूप में पहचानती हैं।इस रजिस्टर पर दिनांक 6 जून का 1994 का एक नोट है जो 'टाइप-6 घोषित,-विस्तृत सचिव/सदन आवंटन समिति दिनांक 2 जून, 1994' पढ़ता है।इस नोट को हटा दिया गया है और एक अन्य दिनांकित नोट जोड़ा गया है जिसमें लिखा है कि इसे *टाइप* 6 घोषित किया गया है-27 सितंबर के आदेश के अनुसार1993.उसी रजिस्टर

पर 20 जून, 1994 का एक और अनुमोदन है जिसमें कहा गया है कि संलग्न शौचालय के साथ एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण पूरा होने पर घर को 6 से 5 प्रकार का घोषित किया गया था।इसलिए, यह देखा जाएगा कि ऊपर उल्लिखित पहले ध्यान दें और अंतिम ध्यान दें के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है क्योंकि पहला नोट 2 जून को इसे टाइप 6 घोषित करता है। 1994 जबकि दूसरे नोट में इसे टाइप 5 *या* 6 घोषित किया गया है।—उसी तारीख का आदेश देखें।फाइल तिथि 3 मई, 1994 पर एक और दस्तावेज है जिसे डॉ. गुजराल द्वारा निष्पादित किया गया था जब उन्होंने परिसर खाली किया था और घर को टाइप 4 के रूप में दर्ज किया था।इस दस्तावेज़ को 31 मई, 1994 की अवकाश रसीद रजिस्टर प्रविष्टि संख्या 259 से और समर्थन मिलता है।यदि सदन के वर्गीकरण के संबंध में अभी भी कोई संदेह बचा है, तो उसे 31 मई, 1994 के दस्तावेज़ द्वारा दूर किया जाता है, जो उस तारीख को श्री तलवार द्वारा विधिवत निष्पादित कब्जा रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि घर 4 प्रकार का था।इस दस्तावेज़ को श्री तलवार द्वारा हस्ताक्षरित और घर को श्रेणी 4 प्रकार के रूप में पहचानने वाले 31 मई, 1994 के व्यवसाय रजिस्टर और प्रविष्टि संख्या 302 से और समर्थन मिलता है।सी. बी. आई. ने उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा चंडीगढ़ की योजना के समय तैयार की गई सेक्टर 8 की रूपरेखा भी हमारे सामने पेश की है।यह स्वीकार की गई स्थिति है कि सदन संख्या 10 और 11 सेक्टर 7 चंडीगढ़ भूखंड के निर्मित क्षेत्र के क्षेत्रफल के मामले में समान हैं।, और यह भी कि घर संख्या 10 प्रतिवादी के एडमिशन से भी डी. एफ. श्रेणी 4 है।यह महत्वपूर्ण है कि पहले वर्गीकरण विशेष रूप से कुल भूखंड क्षेत्र पर किया जाता था और इन दोनों भूखंडों का मैदानी क्षेत्र 3312.5 वर्ग गज़ है। एक और कारक है जो दिमाग़ में वहन किया जाना है।श्री के. जी. वर्मा द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के अनुच्छेद 35 के उप-पैरा (डी) में उनके द्वारा यह विशेष रूप से कहा गया था कि सदन संख्या 11 सेक्टर 7 चंडीगढ़ एक प्रकार-4 का घर था और इसलिए यह श्री तलवार को आवंटित नहीं किया जा सकता था।श्री आर. एस. दून, संपदा अधिकारी, यू. टी. चंडीगढ़ द्वारा एस. एल. पी. का जवाब दाखिल किया गया था और अपने शपथ पत्र के पैरा 27 में जवाब दिया गया था।उल्लेखनीय है कि इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि हाउस नंबर 11 सेक्टर 7 एक टाइप-4 हाउस था।अभिलेख पर साक्ष्य के संचयी अध्ययन से, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि सदन संख्या 11 सेक्टर 7 एक प्रकार-4 का घर था और इसलिए यह श्री तलवार के अधिकार से परे था।यह भी स्पष्ट है कि नियम 7 इसके दुरुपयोग पर किसी भी दिशानिर्देश या अन्य जांच से सुरक्षित नहीं है और इसके तहत कार्रवाई करने के लिए कुछ कारणों को दर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है।यह नियम स्पष्ट रूप से मनमाना है और तदनुसार रद्द कर दिया गया है।श्री तलवार के पक्ष में सदन संख्या 11 सेक्टर 7 चंडीगढ़ के आवंटन को हमारे विचार से कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे अलग रखा जाता है।

15. श्री तलवार को आवंटित किए जाने के बाद सदन संख्या 11 में किए गए असाधारण नवीनीकरण पर भी कुछ तर्क दिए गए हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वर्मा, जो सेवा में श्री तलवार से लगभग 15 वर्ष बड़े थे, ने गहरी व्यक्तिगत चोट और पीड़ा की भावना महसूस की, जिसने मामलों को आगे बढ़ाया और उन्हें अदालत में लाया।यह न केवल उन्हें

एक घर के आवंटन में अनुचित व्यवहार के कारण था, बल्कि सदन संख्या 11 के व्यापक नवीनीकरण और श्री वर्मा की जरूरतों के प्रति एक आकस्मिक और उदासीन दृष्टिकोण के कारण भी था।हमने यू. टी. प्रशासन और सी. बी. आई. चंडीगढ़ से प्रासंगिक रिकॉर्ड तलब किया है और इसके अवलोकन पर हम पाते हैं कि कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं।हम देखते हैं कि श्री तलवार को इसके आवंटन के बाद बहुत महत्वपूर्ण नवीनीकरण किए गए थे।इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति आराम से रहने का हकदार है।हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि अपने आश्रितों को संतुष्ट करने में, किसी भी व्यक्ति को अपने लिए अलग-अलग लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का उपयोग करने का अधिकार नहीं है।हम पाते हैं कि श्री तलवार के मामले में इस मुख्य सिद्धांत की उपेक्षा की गई है।सी. बी. आई. से प्राप्त फाइलों से स्पष्ट होता है कि खर्च की गई वास्तविक राशि को छिपाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि व्यापक रूप से काम किया गया है।इन राशियों को पूरी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से चंडीगढ़ में अधिकांश सरकारी आवासों की स्थिति दयनीय है।यू. टी. प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए कि सार्वजनिक धन को अधिकार में रहने वालों की अत्यधिक मांगों को पूरा करने के लिए बर्बाद न किया जाए, जबकि दूसरों को केवल अस्तित्व तक सीमित रखा जाए।

16. श्री एम. एल. सरीन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें न्यायालय मित्र के रूप में अदालत की सहायता करने के लिए पीठ द्वारा अनुरोध किया गया था, ने हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा है जिन पर गहन विचार की आवश्यकता है।उन्होंने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि चंडीगढ़ में सरकारी आवास की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है, इसका अतिरिक्त कारण यह है कि कई सरकारी अधिकारी/प्रांतीय जिनके पास चंडीगढ़, मोहाली या पंचकूला में अपने घर हैं, वे अत्यधिक किराए पर आवासों को देते हुए सरकारी आवास पर कब्जा करना जारी रखते हैं।उन्होंने आग्रह किया है कि यह नियम 3-ए के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ था जिसमें यह निर्धारित किया गया था [उप-नियम (2) में] कि इस नियम के लागू होने के बाद, कोई भी अधिकारी सरकारी निवास के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास या तो चंडीगढ़ में या आसपास की शहरी संपदाओं में एक घर था जैसा कि आर यू ई 3-ए के उप-नियम (बी) में परिभाषित किया गया है। यह इंगित किया गया है कि उपनियम (3) में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिकारी जो किसी घर का मालिक है और सरकारी आवास पर कब्जा कर रहा है, वह आत्मसमर्पण कर देगा, जबकि नियम 3-ए के अन्य उप-नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि 3-ए के मुख्य उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाना है।श्री सरीन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह नियम अधिनियम की पुस्तक में बना रहा, इसे कभी लागू नहीं किया गया था और यदि इस पर कार्रवाई की जाये तो चंडीगढ़ में सरकारी आवास की समस्या काफी हद तक गायब हो जाएगी।हम श्री सरीन के इस तर्क को प्रतिग्रहण करते हैं और पाते हैं कि हालांकि यह नियम लोगों के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है:विभिन्न कारणों से सरकारी कर्मचारियों की संख्या अभी भी जब तक यह अधिनियम पुस्तिका में बनी हुई है, प्रशासन

के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।हम इस बात की सराहना करते हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने निजी घरों को किराए पर दिया है, उन्हें उनमें स्थानांतरित करने में कुछ कठिनाई होगी।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि ऐसे सभी अधिकारी/अधिकारी इस आदेश के दो महीने के भीतर किराया नियंत्रक को भेज देंगे और किराया नियंत्रक उसके बाद छह महीने के भीतर आवेदन पर फैसला करेगा।

17. श्री सरीन द्वारा यह भी आग्रह किया गया है कि यू. टी· प्रशासन की सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के एक निष्पक्ष सदस्य को आवासीय आवास आवंटित करने की नीति, बशर्ते कि प्रशंसक सदस्य भी एक सरकारी कर्मचारी हो, नियमों की मंजूरी नहीं थी और इस तरह, उस बिंदु पर निर्देशों को लागू नहीं किया जा सका।विद्वान अधिवक्ता के रुख में एक योग्यता है।मान लीजिए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए आवंटन की परिकल्पना नहीं की गई है और ऐसी किसी भी मंजूरी की अनुपस्थिति में, कोई आवंटन नहीं किया जा सकता है।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि यू. टी. प्रशासन भविष्य में ऐसा कोई आवंटन नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों ने पहले ही आवंटन हासिल कर लिया है और आज तक कब्जा कर लिया है, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

18. यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि बड़ी संख्या में जिन कर्मचारियों को चंडीगढ़ में सरकारी आवास आवंटित किया गया है, उन्होंने खुद को स्थानांतरित करते हुए दूसरों को किराए पर दिया है और इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है।इस स्थिति में भी योग्यता है।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि प्रशासन आठ महीने की अवधि के भीतर एक सर्वेक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी आवास का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं हो रहा है और यदि ऐसा पाया जाता है तो

इसे ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाए जायें। इसी तरह कार्यालय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले आवासीय आवास को उसी तरीके से पुनर्प्राप्त और उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया था।

योजना

19. यू. टी. प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार एक मसौदा योजना तैयार की है और उसे अदालत में प्रस्तुत किया है।इस पहलू पर विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा बहुत तर्क दिए गए हैं और हरियाणा राज्य की ओर से तर्क को संबोधित करने वाले श्री लहरी के अलावा, उच्च न्यायालय और उसके कर्मचारियों और यू. टी. प्रशासन के कर्मचारियों के संघ ने भी अपने विचार दिए हैं।विभिन्न इच्छुक पक्षों की प्राथमिक शिकायत यह रही है कि यू. टी. प्रशासन द्वारा प्रस्तावित मसौदा योजना भी यू. टी. प्रशासन के कर्मचारियों के पक्ष में बहुत अधिक झुक गई थी।उच्च न्यायालय की ओर से और पंजाब और हरियाणा राज्यों के न्यायिक अधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी. एस. गिल ने तर्क दिया है कि इस योजना में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीशों और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (3) में दिए गए *निर्देश को ध्यान में नहीं* रखा *गया है।विशेष रूप से, यह* बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश कि सभी न्यायिक अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय आवास प्रदान किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो अन्य सभी को बाहर कर दिया जाए, अभी तक लागू नहीं किए गए थे और यहां तक कि इस न्यायालय के कुछ न्यायाधीश भी, जो अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार, किराए पर मुफ्त आवास के हकदार थे, अभी भी चंडीगढ़ के विभिन्न अतिथि गृहों में पड़े हुए हैं।इसके विपरीत, श्री अग्रवाल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं और प्रशासनिक पदों के विपरीत न्यायिक पदों पर आसीन सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, उन्होंने बताया है कि चूंकि उनके लिए निर्धारित कुछ आवास अभी भी सेवानिवृत्त/स्थानांतरित न्यायाधीशों के कब्जे में हैं, इसलिए अभी तक सभी को समायोजित करना संभव नहीं था।

20. हम मानते हैं कि तब उठाए गए बिंदुओं पर उनकी सलाह से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को वास्तव में अब तक यू. टी. प्रशासन द्वारा लागू नहीं किया गया है।अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले (उपरोक्त) में, एक विशिष्ट निर्देश जारी किया गया था कि सभी न्यायिक अधिकारियों को एक निश्चित कटौती द्वारा आवास प्रदान किया जाए।

(3) 1 1993 ((4) एससी. सी. 288.

और श्री अग्रवाल ने इस तरह से काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों और अन्य पदों पर काम करने वालों के बीच कृत्रिम अंतर करने की मांग की।पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए कानूनी अनुस्मारक, जिला और सत्र न्यायाधीश (वी. जी.) पूरी तरह से बिना किसी वारंट के हैं।उच्चतम न्यायालय के निर्देश स्पष्ट और त्रुटिरहित हैं और उनका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।यह भी महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर, 1994 के अपने आदेश में अखिल भारतीय न्यायाधीशों में निर्णय लागू करने की तारीख बढ़ा दी है।1 अगस्त, 1995 तक *मामला (ऊपर) और एक* चेतावनी दी गई है कि यदि उस तारीख तक निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं।यह निम्नानुसार देखा गया हैः—

> "यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि न्यायिक अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर चतुर्थांश आवंटित किए जाने चाहिए, तो निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, न कि न्यायिक अधिकारियों को विशेष श्रेणी आवंटन की अनुमति देकर।यदि समान पर्याप्त आवासों के बावजूद सामान्य पूल से आवास उपलब्ध नहीं हैं और निजी आवास की मांग करना या किराए पर लेना आवश्यक हो जाता है, तो राज्य सरकार को संबंधित कलेक्टरों को निर्धारित मानक के आवास का पता लगाने और न्यायिक अधिकारियों को आवंटित करने का निर्देश देना चाहिए।जिन मामलों में ऐसा नहीं किया जाता है या आवास की कमी के कारण संभव नहीं है या भले ही न्यायिक अधिकारी आवास का उल्लेख करने में समर्थ हो, लेकिन किसी वैध कारण से राज्य सरकार के लिए इसकी मांग करना या उसे किराए पर लेना संभव नहीं है और न्यायिक अधिकारी अपने लिए आवास किराए पर लेने के लिए मजबूर हो जाता है, न्यायिक अधिकारी एच. आर. ए. के रूप में जो हकदार है, उससे अधिक किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि न्यायिक अधिकारी राज्य सरकार को सूचित करे कि उसने अपनी चूक के कारण एक विशेष किराए पर एक घर का चयन किया है और उस पर ही कब्जा करेगा।यदि ऐसी सूचना के बाद राज्य सरकार/कलेक्ट्रेट एक महीने के भीतर न्यायिक अधिकारी को आवास प्रदान नहीं करता है तो न्यायिक अधिकारी घर किराए पर लेने का हकदार होगा और राज्य सरकार आवास के लिए न्यायिक अधिकारी को स्वीकार्य एच. आर. ए. से अधिक किराए का भुगतान करेगी।पहले से ही निजी आवास के कब्जे में न्यायिक अधिकारियों के मामले में, उन्हें भी वही लाभ दिया जाना चाहिए, अर्थात् आवास के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान।

> क्यूँकि राज्य सरकार को निर्देश का पालन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश पर जल्द से जल्द काम किया जाना चाहिए और यह 1 अगस्त, 1995 से प्रभावी हो जाएगा।राज्य सरकारों पर यह प्रभाव डालने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस आदेश के ईमानदारी से कार्यान्वयन की उम्मीद करते हैं क्योंकि 1 अगस्त, 1995 की तारीख तक समीक्षा आवेदन में आदेश दिए जाने के बाद से उचित समय से अधिक समय बीत चुका होगा।इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाएगी जो आदेश के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, विफलता, यदि कोई हो, तो कठोर कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।"

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन श्री अग्रवाल के तर्क का पर्याप्त रूप से ध्यान रखता है।हमारा यह भी मानना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवास एक ऐसा मामला है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि किराया मुक्त आवास का प्रावधान उनकी सेवा शर्तों का एक हिस्सा है।यह शायद ध्यान देने योग्य है कि कैबिनेट सचिव ने 7 अप्रैल, 1994 को मुख्य सचिव,पंजाब को संबोधित एक पत्र (अनुलग्नक आर-16/2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनकी सेवा शर्तों के संदर्भ में किराया मुक्त आवास प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के दायित्व पर जोर दिया।इसलिए, यह अनिवार्य है कि इस तरह के आवास प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं कि जिन न्यायाधीशों द्वारा रखे गए घर इस उद्देश्य के लिए पात्र नहीं थे, उन्हें नियमों के अनुसार पुनर्प्राप्त और आवंटित किया जाए।

21 उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री एम. एस. कोहली ने मुख्य रूप से टाइप-9 आवास के संबंध में प्रतिनिधित्व किया।उन्होंने विशेष रूप से योजना के पैराग्राफ 7 के खंड (च) का उल्लेख किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि श्रेणी 9 के घर विभिन्न अधिकारियों के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन उच्च न्यायालय के कर्मचारी जो उस श्रेणी के हकदार हैं, उन्हें विशेष रूप से छोड़ दिया गया है। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के साथ यह अनुचित व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है और उन्हें भी उपरोक्त खंड (च) में शामिल किया जाना चाहिए।

22. हम अपने फैसले के पहले भाग में पहले ही संकेत दे चुके हैं कि चंडीगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी ताकत है।केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का नेतृत्व अब प्रशासक करते हैं जो पंजाब के राज्यपाल हैं, लेकिन वास्तव में नियमों द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार सलाहकार को सौंप दिए गए हैं जो प्रमुख सचिवों के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों के बहुत बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी से बहुत कम रैंक का अधिकारी

है।

यह भी देखा जाएगा कि सलाहकार की अध्यक्षता वाली सदन आवंटन समिति (ऊपरी) के सदस्यों में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं।इसलिए, हमारी राय है कि दी गई परिस्थितियों में और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए नौकरशाहों के प्रयासों के तहत सदन आवंटन समिति (ऊपरी) के गठन में कुछ बदलाव की आवश्यकता है ताकि इसे कार्यात्मक बनाया जा सके।इसलिए हम महसूस करते हैं कि इस समिति की अध्यक्षता दोनों राज्यों के दो मुख्य सचिवों में से वरिष्ठ द्वारा की जानी चाहिए और समिति की बैठक कम से कम दो महीने में एक बार केंद्र शासित प्रदेश के अतिथि गृह में आयोजित की जानी चाहिए।हमारी यह भी सुविचारित राय है कि न्यायिक अधिकारियों और न्यायिक प्रशासन के हित में उच्च न्यायालय के पंजीयक को भी समिति का सदस्य होना चाहिए।जहां तक सदन आवंटन समिति (निम्न) का संबंध है, बहुत अधिक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय के अतिरिक्त पंजीयक (प्रशासन) को भी इस समिति का सदस्य होना चाहिए, जिसकी भी हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए।

23. प्रस्तावित योजना यह भी इंगित करती है कि उपलब्ध आवासों का 25 प्रतिशत तक मुख्य आयुक्त के विवेक पर आवंटित किया जाएगाःकिसी भी एक वर्ष में।यह भी, हमारे हिसाब से अत्यधिक है और नियमों की भावना का उल्लंघन है। हमारा विचार है कि प्रशासक के विवेक पर राशि से बाहर का आवंटन 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

24. संक्षेप में, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि नियमों में बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ हुई है।वास्तव में आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन इतने वर्षों तक दंड से मुक्ति के साथ उनकी उपेक्षा कर सकता था और चंडीगढ़ में सत्ता में बैठे लोगों के 'अहंकार' के कारण एक व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय आया।श्री वर्मा निसन्देह कुछ हद तक अपने स्वार्थ के लिए निर्देशित रहे हैं और उनकी रिट याचिका में दिए गए तर्कों के लिए इतने गहन विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन *स्वप्रेरणा संज्ञान* नोटिस ने जांच के दायरे को असीम रूप से बढ़ा दिया है और एक ऐसा अंतिम परिणाम लाया है जिसकी कल्पना न तो उनके द्वारा की गई थी और न ही जब उन्होंने यह सब शुरू किया था।हम महसूस करते हैं कि जारी किए गए कुछ निर्देशों से बहुत असुविधा हो सकती है और इस तरह हमने जहां भी संभव हो हमले को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन कानून का पालन किया जाना चाहिए।संक्षेप में, हमने बस इतना ही कहा है।

25. अंत में, हम इस निर्णय की मुख्य विशेषताओं को फिर से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैंः—

(I) के. जी. वर्मा के मामले में निर्णय (1993 का सी. डब्ल्यू. पी. सं0 12688 4 फरवरी, 1994 को तय किया गया) को खारिज कर दिया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि चंडीगढ़ में आवासीय आवास का आवंटन नियमों के नियम 5 के तहत किया जाना है और केवल नियम-26 के तहत

असाधारण मामलों में ही किया जाना है।

(II) राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवंटन करने में संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश या सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(III) नियम (2) (ई) में परिभाषित केवल पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी आवास दिया जाएगा, लेकिन जो पहले से ही ऐसे आवास पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें एस. पी. गुप्ता के मामले (उपरोक्त) के दायरे में आने वाले पत्रकारों और प्रेस संवाददाताओं को छोड़कर परेशान नहीं किया जाएगा।

(IV) नियम 7 को मनमाना होने के रूप में निरस्त कर दिया गया है;

(V) श्री ए. आर. तलवार के पक्ष में आवंटन को रद्द कर दिया जाता है और एक निर्देश जारी किया जाता है कि वह तीन महीने के भीतर चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में मकान संख्या 11 को खाली कर देंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें श्रेणी 8 के बजाय एक प्रकार-6 के घर का आवंटन करने की अनुमति दी जाती है, जो उनकी वास्तविक पात्रता है।

(VI) यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं कि चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए बजट जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को कवर करने वाले विभिन्न प्रकार के आवासों के बीच निष्पक्ष रूप से खर्च किया जाए।

(VII) नियमों के नियम 3-ए को सख्ती से लागू किया जाना है क्योंकि यह अधिनियम की पुस्तक में है।

(VIII) सरकारी कर्मचारी के पक्ष में निर्देशों के आधार पर कोई आवंटन नहीं किया जाएगा जो सरकारी आवास पर रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य हो।

(IX) आबंटियों द्वारा उप-किराए पर दिए गए सरकारी आवास का पता लगाने और यदि आवश्यक हो तो उसे पुनर्प्राप्त करने और आवासीय आवास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाये।

(X) अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(XI) उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें अभी तक सरकारी आवासीय आवास आवंटित नहीं किया गया है।प्राथमिकता के आधार पर ऐसा आवास प्रदान किया जाए।

जैसा कि प्रशासन अब इस निर्णय के संदर्भ में आवंटन करेगा, इस फैसले में दी गई

अंतरिम रोक को निरस्त कर दिया जाता है। अन्य सभी संबंधित मामलों को भी इस निर्णय के संदर्भ में निपटाने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा